UPSI180034292024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-359/2024

वाजिद अली बनाम मेराज अहमद आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थाई निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**1000/-रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री रामसजीवन वर्मा**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**11.10.2024**

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री रामसजीवन वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूल वाद के रूप में दर्ज किया जाए। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र-6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक 22.11.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3555

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय कुआं जिसे वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी, से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी पूरब-मकान व शेष जगह वादी, पश्चिम-खड़ण्जा मार्ग, उत्तर-सहन वादी, दक्षिण-डेढ़ फिट चौड़ी नाली बादहू मकान गोबरे, स्थित ग्राम करीमपरवा मजरा तुलापुर, परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की बनी जोत को तोड़ने एवं उस पर नया रास्ता कायम करने एवं वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची 9 ग 1 से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-22.11.2024 हेतु जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक-22.11.2024 को पेश हो।

दिनांकः-11.10.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3555

P.T.O

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.10.11 17:23:41 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmudabad
Sitapur.

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8 ग 2</u>

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादी जरिये अमीन कमिश्नर विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-11.10.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3555

UPSI180034292024